बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

आ0सं0–3/अ0प्र0–1–171/12 40 /पटना, दिनांक 2-9-21

श्री राम भगवान सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत भदवा शिवगंज से कझपा पथ में पायी गई अनियमितता यथा GSB Gr-II एवं WBM Gr-II का कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराने, अधूरा मिट्टी कार्य का भुगतान करने इत्यादि के संबंध में अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1472 दिनांक 23.05.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के कारण यह मानते हुए कि उन्हें आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में कार्यालय आदेश सं0 113 दिनांक 11.04.16 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1352 दिनांक 12.02.2019 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में यह मंतव्य दिया गया कि पथ में त्रुटिपूर्ण WBM Gr- II का कार्य एवं उक्त कार्य की मापी श्री राम भगवान सिंह द्वारा नहीं की गई है। इसलिए WBM Gr- II का कार्य करने के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी नहीं है परन्तु पूर्व में किये गये कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हुए बिना उनके द्वारा WBM Gr- III का कार्य कराया गया। उक्त आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा सिंह के विरूद्ध गठित आरोप सं0 1, 2 एवं 3 आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं0–4 प्रमाणित तथा आरोप संख्या–5 अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। विभागीय समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित एवं आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 268 दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री सिंह द्वारा दिनांक 23.02.2020 को समर्पित द्वितीय बचाव बयान में उल्लेख किया गया कि GSB grading II तथा WBM Gr- II का कार्य उनके कार्यकाल में नहीं कराया गया। आरोप पत्र में वर्णित कार्य उनके पदस्थापन के पूर्व ही पूरा कराया जा चुका था एवं इसकी मापी मापीपुस्त में दर्ज कर इस कार्य का भुगतान किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उनके स्तर पर कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट या असंतुष्ट होने का कोई औचित्य हीं नहीं है क्योंकि नियमानुसार उस कार्य की गुणवत्ता विशिष्टि के अनुरूप पाये जाने के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई की जाती है।

5. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षा कराई गई। उक्त समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत पथों में WBM Gr- II का कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया। यद्यपि उक्त कार्य श्री राम भगवान सिंह, तदेन कनीय अभियंता के कार्यकाल में नहीं हुआ और उनके द्वारा उक्त कार्य का भुगतान भी नहीं किया गया परन्तु WBM Gr- III का कार्य कराने से पूर्व उन्हें WBM Gr-II के गुणवत्ता से संतुष्ट हो लेना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो कि कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

5. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं मुख्य अभियंता–2 की समीक्षा के आलोक में प्रश्नगत मामले की समग्र समीक्षा समीक्षोपरान्त श्री सिंह को "**निंदन**" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री राम भगवान सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति प्राक्कलक, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 के नियम 14 (i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) **निंदन** (आरोप वर्ष 2011–12)

27/8/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–171/12 1211 /पटना, दिनांक :– 2.9.21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री राम भगवान सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति प्राक्कलक, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–171/12 1211 /पटना, दिनांक :– 2.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/8/21

अभियंता प्रमुख